भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 AUG 2014

BD 818794

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चन्द्रभान सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट

ट्रस्ट–विलेख

1. मैं डा० पंकज कुमार सिंह पुत्र स्व० चन्द्रभान सिंह, निवासी 469/275R/2 न्यू सोहबतियाबाग, जनपद–इलाहाबाद (उ०प्र०) अपने पूज्य पिता जी के स्मृति में उनके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्य हेतु। एक ट्रस्ट के निर्माण कर रहा हूँ।

अतः आज दिनांक 24.09.2014 को मैं डा० पंकज कुमार सिंह ट्रस्टकर्ता के रूप में रुपये 11,000/–(ग्यारह हजार रुपये मात्र) प्रदान कर चन्द्रभान सिंह चैरिटेबिल ट्रस्ट" सृजित करता हूँ, उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रूप में इसकी स्थायी सम्पत्ति होगी। ट्रस्ट में अधिकतम सात (7) आजीवन ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट का एक आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी होगा। जिसे ट्रस्ट की ओर से सम्पत्तियों के क्रय–विक्रय करने, किराये पर देने व लेने, लीज पर देने व लेने तथा अनुदान लेने व देने के अभिलेखों पर निर्णय एवं हस्ताक्षर करने एवं राष्ट्रीयकृत बैंक/ वित्तीय संस्था से ऋण लेने का विधिक/न्यायिक अधिकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी को अन्य ट्रस्टियों को नियुक्त करना, ट्रस्ट मण्डल का गठन करना, ट्रस्टियों को हटाने तथा ट्रस्टी मण्डल को भंग करने की संस्तुति पर पुनः गठन का अधिकार होगा।

मैं पंकज कुमार सिंह, ट्रस्ट चन्द्रभान सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट का आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी रहूँगा। मेरे बाद मैनेजिंग ट्रस्टी का चयन शेष ट्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मति अथवा 3/4 के बहुमत से होगा।

2. ट्रस्ट का नाम : "स्व० चन्द्रभान सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट" होगा।

3. ट्रस्ट का मुख्यालय 469/275R/2 न्यू सोहबतियाबाग, पोस्ट–अल्लापुर जनपद–इलाहाबाद (उ०प्र०) तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के मुख्यालय को किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए, मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से उप–कार्यालय भारतवर्ष में तथा विदेशों में किसी भी स्थान पर खोलने व बन्द करने एवं स्थान परिवर्तित करने का भी विधिक अधिकार होगा।

Scanned with CamScanner

क्र. 242 स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-8-2018

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

स्टाम्प विक्रेता हस्ताक्षर [illegible] ला. नं. 113

दीवानी कचेहरी [illegible] इलाहाबाद

लाइसेंस की अवधि [illegible] 31-3-15 तक हस्ताक्षर [illegible]

(2)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 AUG 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 619795

4–ट्रस्ट के उद्देश्य

1. शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, शिक्षक-प्रशिक्षण कॉलेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज, विधि कॉलेज, बी०एड० कॉलेज, पालीटेकनिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, बायोटेक संस्थान, चिकित्सा/मेडिकल कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक महाविद्यालय आदि को स्थापित करने एवं संचालित करना।
2. गरीब/निर्धन छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना, वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का निर्माण एवं व्यवस्था करना।
3. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, मेडिकल स्टोर आदि का निर्माण एवं संचालित करना।
4. स्वास्थ्य शिविरों का संचालन करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना इसके लिए सेमिनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण आदि की व्यवस्था करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
6. सिलाई केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
7. दलितों एवं पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना कर उन्हें आत्म-निर्भर बनाना।
8. अन्य समितियों तथा ट्रस्ट द्वारा हस्तान्तरित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक शिक्षण संस्थाओं का ग्रहण करना एवं संचालन करना।
9. धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा उनका प्रबन्धन करना।
10. शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए समारोह, व्याख्यान, वाद-विवाद तथा चर्चा, सेमिनार का आयोजन करने के लिए इंजीनियरों, डाक्टरों और शोधकर्ताओं के अंतरराष्ट्रीय गठबन्धन (International Alliance of Engineers, Doctors and Researchers) (IAEDR) का निर्माण करना तथा इसे देश व विदेशों में संचालित करना।
11. शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए साहित्य, शोध-पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन तथा इसे देश व विदेशों में वितरण करना तथा क्रय-विक्रय करना।

Scanned with CamScanner

क्र० 293 स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-2-2015

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन ई० ... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम ... [illegible] सिंह ... [illegible] सिंह

पता ... [illegible]

स्टाम्प की धनराशि ... [illegible]

स्टाम्प विक्रेता ... लाइसेंस नं० 193

सिविल कोर्ट कलेक्ट्री ऑफिस के पास, इलाहाबाद

लेखक की अनुज्ञप्ति ... 31-3-16 तक हस्ताक्षर [illegible]

[illegible]

1) ... 110.00 ... 120.00 ... [illegible]

... पंकज कुमार सिंह ... [illegible]

श्री ... पंकज कुमार सिंह

पुत्र श्री ... [illegible] सिंह

... [illegible] नं० ... अल्लापुर, इलाहाबाद

... [illegible] 6/3/2015 ... समय 12:27PM

... [illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[signature]

... [illegible] कुमार

उप निबन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद

6/3/2015

निष्पादन लेखपत्र ... [illegible]

श्री ... पंकज कुमार सिंह पंकज कुमार सिंह

पुत्र श्री ... [illegible] सिंह

पेशा

निवासी ... [illegible] अल्लापुर, इलाहाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

[illegible] श्री ... वीरेन्द्र कुमार सिंह वीरेन्द्र कुमार सिंह

पुत्र श्री ... [illegible] सिंह

पेशा

निवासी ... सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

व श्री ... धीरेन्द्र सिंह

पुत्र श्री ... [illegible] सिंह Dhirendra Singh

पेशा

निवासी ... [illegible] इलाहाबाद

ने की ।

... [illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[signature]

... [illegible] कुमार

उप निबन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रू. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 819796

12. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान, ऋण, सहायता, अनुदान आदि धन या वस्तु के रूप में प्राप्त करना।
13. सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करना।
14. महिला, युवा, बाल एवं कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।
15. समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों के सम्मान में गोष्ठियों का आयोजन करना तथा उन्हें स्मृति-पदक देकर सम्मानित करना।
16. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।
17. विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संस्थाओं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर मानव विकास हेतु के लिए मिलकर कार्य करना तथा उपरोक्त संस्थाओं से दान, सहायता एवं अनुदान राशि प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये कार्यों में व्यय करना।
18. विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध-प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार एवं सम्मेलनका आयोजन एवं प्रचार सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना।
19. विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध-पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही पुस्तक, शोध-पत्रिकाओं और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन करना तथा इसे देश व विदेशों में वितरण तथा क्रय-विक्रय करना।
20. ट्रस्ट की आय के स्रोत:-

ट्रस्ट की आय उसकी स्थायी कोष में जमा राशि एवं उसका ब्याज, लोगों, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जन-प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सहायता राशि, व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चल-अचल सम्पत्ति, जन प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी सदस्यता शुल्क, ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा प्राप्त धनराशि तथा ट्रस्ट की अन्य सम्पत्तियों एवं कार्यों से प्राप्त धनराशि आदि से होगी। जिसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं ट्रस्ट के विस्तार कार्यों में किया जायेगा। ट्रस्ट की समस्त आय किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बैंक में ट्रस्ट के नाम बचत खाता/चालू खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते का संचालन ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

Scanned with CamScanner

क्र0 .... स्टाम्प विक्रय की तिथि ....

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम ....

पता ....

स्टाम्प की धनराशि ....

स्टाम्प विक्रेता .... लाइसेंस नं0 145

सिविल कचहरी .... इलाहाबाद

लाइसेंस की अवधि .... से 31-3- तक हस्ताक्षर

साक्षी

Registration No. ... Year 2015 Book No. 4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AUG 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 819797

6. ट्रस्ट का गठन:

ट्रस्ट के उद्देश्यों में आस्था रखने वाले महानुभाव, जो इस प्रकार है:–

क्र० सं०	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पद नाम	निवासी
1	डा० पंकज कुमार सिंह	स्व० [illegible] सिंह	मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष	मका/[illegible]/2 न्यू [illegible], पोस्ट-[illegible], जनपद-इलाहाबाद
2	श्रीमती [illegible] सिंह	स्व० [illegible] सिंह	ट्रस्टी सचिव	मका/[illegible]/2 न्यू [illegible], पोस्ट-[illegible], जनपद-इलाहाबाद
3	श्रीमती रेखा सिंह	डा० पंकज कुमार सिंह	ट्रस्टी कोषाध्यक्ष	मका/[illegible]/2 न्यू [illegible], पोस्ट-[illegible], जनपद-इलाहाबाद
4	श्री [illegible] कुमार सिंह	स्व० [illegible] सिंह	ट्रस्टी	मका/[illegible]/2 न्यू [illegible], पोस्ट-[illegible], जनपद-इलाहाबाद
5	डा० [illegible] सिंह	श्री [illegible] सिंह	ट्रस्टी	[illegible], इलाहाबाद
6	श्री [illegible] सिंह	श्री [illegible] सिंह	ट्रस्टी	[illegible], इलाहाबाद
7	डा० [illegible] कुमार सिंह	श्री [illegible] सिंह	ट्रस्टी	गाँव- [illegible], पोस्ट-[illegible], जनपद-इलाहाबाद

उपरोक्त 7 (कुल सात) ट्रस्टी इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी होंगे, जो वर्तमान ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे।

7– ट्रस्टियों की नियुक्ति:

वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों के अतिरिक्त नये ट्रस्टियों/रिक्त ट्रस्टियों के पदों पर 18 वर्ष से अधिक आयु एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि रखने वाले समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

8. **ट्रस्टी मण्डल (Governing Board of Trustee) का गठन एवं उद्देश्य:**

1. ट्रस्टी मण्डल का गठन वर्तमान आजीवन ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमोदन के बाद ही सामाजिक व्यक्तियों को ट्रस्टी मण्डल का ट्रस्टी सदस्य बनाया जा सकता है।
2. ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित कमेटी मे आजीवन ट्रस्टी मण्डल मे ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या 3 हो सकती है। ट्रस्टी मण्डल मे ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी का अनुमोदन या ट्रस्टी मण्डल के बहुमत के निर्णय के बाद ही किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

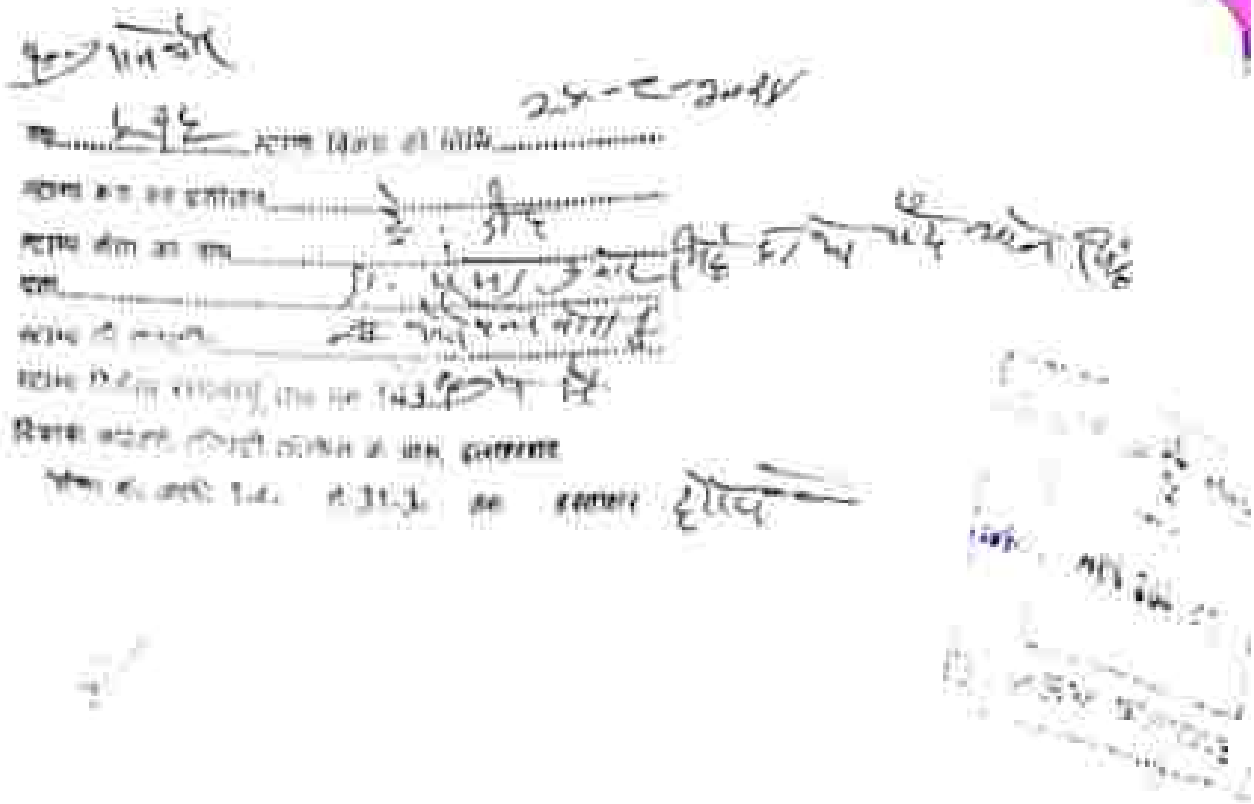

[illegible]

25-8-2015

क्र. [illegible] प्रस्तुत किए जाने की तिथि ....

[illegible] हस्ताक्षर .... [illegible]

[illegible] का नाम .... [illegible]

पता .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] 143 [illegible]

[illegible]

[illegible] 5.00 8.31.3 [illegible]

Scanned with CamScanner

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 AUG 2014

इलाहाबाद VEN

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 819798

3. ट्रस्ट एवं उसके द्वारा समस्त संचालित संस्थाओं और सह संस्थाओं की समस्त सम्पत्ति ट्रस्ट में निहित होगी। ट्रस्टी मण्डल इन सम्पत्तियों का देखभाल करेगा, प्रबंधन करेगा तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग व उपभोग करेगा। ट्रस्टी मण्डल द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिए गये निर्णयों के अन्तर्गत सभी कार्य सम्पादित होंगे।

9. ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारी:

ट्रस्ट की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन तथा ट्रस्टी मण्डल के गठन हेतु निम्न पद एवं पदाधिकारी होंगे:

अध्यक्ष: डा0 पंकज कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री चन्द्रभान सिंह, निवासी–469/275ए/2 न्यू लोकबतियाबाग, पोस्ट–अल्लापुर, जनपद–इलाहाबाद।

सचिव: श्रीमती इन्दुबाला सिंह पत्नी स्व0 चन्द्रभान सिंह, निवासिनी–469/275ए/2 न्यू लोकबतियाबाग, पोस्ट–अल्लापुर, जनपद–इलाहाबाद।

कोषाध्यक्ष: श्रीमती रेखा सिंह पत्नी डा0 पंकज कुमार सिंह, निवासिनी–469/275ए/2 न्यू लोकबतियाबाग, पोस्ट–अल्लापुर, जनपद–इलाहाबाद।

उपरोक्त पदाधिकारी अपने जीवन काल तक अपने पदों पर बने रहेंगे जब तक कि उन्हें ट्रस्ट द्वारा बहुमत (3/4) से पदच्युत न किया जाय। भावी ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष पद पर मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) ही मनोनीत होगा तथा शेष दो अन्य पदों का चयन ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टियों में से ही किया जायेगा।

10. ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मण्डल की सदस्यता समाप्ति:

1. ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर।
2. ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
3. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने पर।
4. अध्यक्ष को बिना लिखित बताये, ट्रस्टी मण्डल की तीन लगातार बैठकों में भाग न लेना।

पंकज कुमार सिंह

Scanned with CamScanner

१०० [illegible]

क्रम सं. 293 .... स्टाम्प विक्रय की तिथि 23-2-2015

स्टाम्प क्रय का प्रयोजन .... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम .... [illegible]

पता .... [illegible]

स्टाम्प की धनराशि .... [illegible]

स्टाम्प विक्रेता हस्ताक्षर [illegible]

विक्रेता [illegible] कलेक्ट्रेट [illegible], इलाहाबाद

लाइसेंस की अवधि 1-4- से 31-3- तक हस्ताक्षर [illegible]

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 AUG 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 9D 819799

5. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी ट्रस्टी को बिना कारण बताये उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक व्यक्ति को ट्रस्टी बना सकता है।
6. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) को यह विशेषाधिकार होगा कि वह ट्रस्ट में रिक्त/अतिरिक्त पदों पर ट्रस्टियों की नियुक्ति करें या न करें।

11. ट्रस्टी मण्डल की बैठकें

ट्रस्टी मण्डल की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टी मण्डल की अन्य बैठकें भी बुला सकता है। ट्रस्टी मण्डल की बैठक की लिखित सूचना एवं एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ट्रस्टी को दी जायेगी। आकस्मिक बैठकें एक दिन की सूचना पर बुलाई जा सकती है। आपात स्थिति में ट्रस्ट सम्बन्धी त्वरित निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया जा सकता है। जिसका ट्रस्टी मण्डल की बैठक बुलाकर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रस्टी मण्डल की बैठक का कोरम कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति से होगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

12. ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व

अध्यक्ष

अध्यक्ष ट्रस्टी मण्डल की बैठकों को बुलाने के लिए सचिव को निर्देश देगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा। वह मतदान में भाग नहीं लेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णयों की घोषणा करेगा। बराबर मतों की स्थिति में उसका मत निर्णायक एवं सर्वमान्य होगा। अध्यक्ष अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम ट्रस्टी उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से अधिकृत सदस्य ही उसके दायित्व का पालन करेगा।

सचिव

सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक आहूत करेगा, ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखन करेगा तथा ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश देगा तथा उसका पालन कराना सुनिश्चित करेगा, ट्रस्ट के समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। माननीय न्यायालय, सरकार अथवा अन्यत्र कहीं भी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। ट्रस्टी मण्डल के निर्णय अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों के पदों का सृजन करेगा, उनकी नियुक्ति, उनका वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता तथा

Scanned with CamScanner

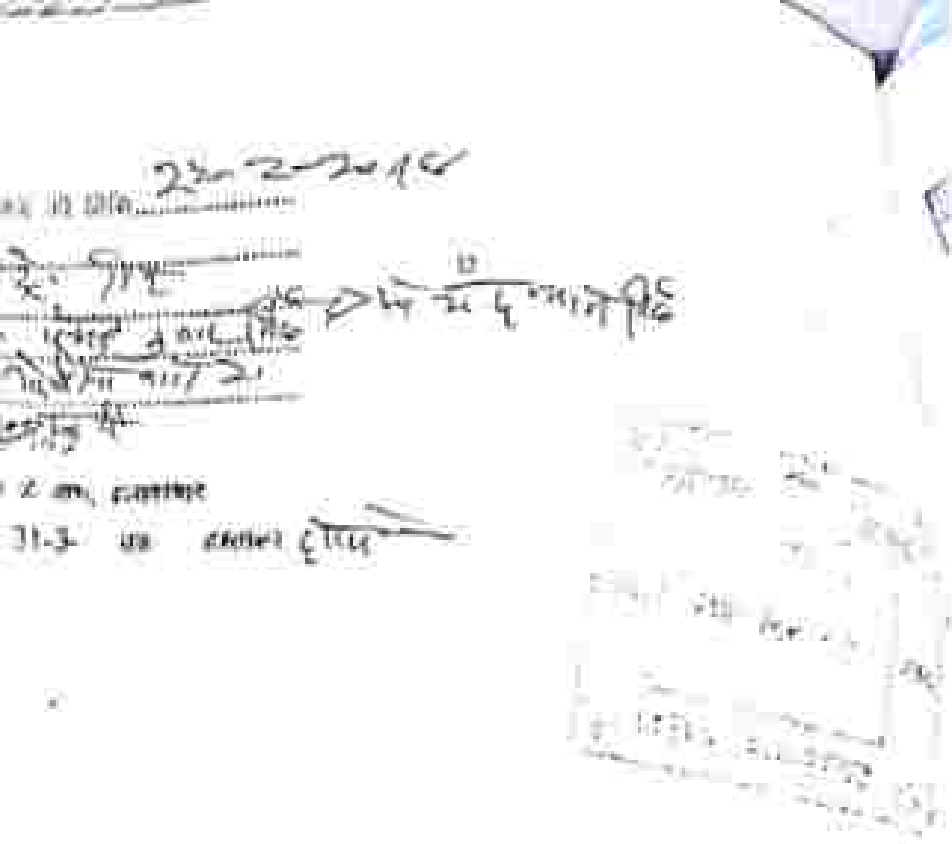

[illegible]

[illegible] 54/ [illegible] 23-2-2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 4.31.3 [illegible]

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 AUG 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 819800

दैनिक मजदूरी का निर्धारण आदि कार्य करेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित संस्था के अध्यक्ष को देगा। वह ऐसे समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो उसे ट्रस्टी मण्डल द्वारा समय–समय पर करने के लिए अधिकृत किया जायेगा। सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत ट्रस्टी ही उस बैठक में सचिव के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

<u>कोषाध्यक्ष</u>

कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से व्यक्तियों द्वारा दान, चन्दा, ट्रस्ट सम्पत्तियों का किराया, ट्रस्ट सम्पत्तियों की विक्रय धनराशि, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि आदि प्राप्त करेगा तथा उसे ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा तथा उसका लेखा–जोखा रखेगा। उपरोक्त राशि ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु ट्रस्टी मण्डल के निर्देशानुसार उपयोग व उपभोग की जायेगी। ट्रस्ट का वार्षिक बजट तैयार कर ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। ट्रस्टी मण्डल के समस्त वित्तीय पत्रजातों का लेखा–परीक्षण करायेगा तथा उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं बैंक सम्बन्धी समस्त कागजात ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

13. ट्रस्टी मण्डल के अधिकार

1. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित ट्रस्ट के नाम खाता खोलने हेतु निर्णय लेना।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नियमों, परिनियमों, उद्देश्यों आदि में संशोधन करना, नये नियम बनाना, तथा अनुपयोगी हो चुके नियमों को समाप्त करना।
3. ट्रस्ट के कार्यों हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके वेतन का भुगतान करना तथा न्यायोचित कारणों से उन्हें पदच्युत करना।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य संचालित संस्थाओं में स्थानान्तरित (Transfer) करना।
5. ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करना तथा उन्हें पदच्युत करना।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध समिति के गठन हेतु संविधान/नियमावली बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर बने हुए संविधान, नियमावली में संशोधन करना।

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible] 23-8-2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8D 619801

7. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने वाली अथवा विवादित प्रबन्ध समिति को भंग कर उसके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति का गठन करना तथा उसके गठन होने तक संस्था का प्रबन्धन ट्रस्टी मण्डल के सचिव द्वारा चलाना।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के समस्त वादों/विवादों का निपटारा करना।

9. ट्रस्ट के विरुद्ध समस्त वाद मा० न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यक्षेत्र में निहित होगा।

14. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का संविधान—

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रबन्धन एवं अन्य ट्रस्ट सम्बन्धित समितियों के सुचारु संचालन हेतु एक प्रबन्ध समिति निम्न प्रकार से गठित होगी। जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे—

अध्यक्ष – एक	उपाध्यक्ष – एक
प्रबन्धक – एक	उपप्रबन्धक – एक
कोषाध्यक्ष – एक	सदस्य – दो

पदेन सदस्य शासन के नियमानुसार

संस्था कर्मचारी प्रतिनिधि – नियमानुसार नामित।

उपरोक्त प्रबन्ध समिति के पदेन एवं नामित सदस्यों को छोड़कर शेष का चयन ट्रस्टी मण्डल द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी की देख-रेख में अपने में से ही 5 वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि कोई पद अपने आप अथवा किन्हीं कारणों से हटा दिये जाने से कार्यकाल रिक्त हो जाता है तो उस पर नये पदाधिकारी का चयन ट्रस्टियों में से ट्रस्टी मण्डल द्वारा बहुमत से शेष अवधि के लिए किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठकें भी हो सकती है। जिसके लिए सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को प्रबन्धक द्वारा दिया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन बैठक कभी भी एक दिन की सूचना पर बुलाई जा सकती है। आपातकाल में प्रबन्धक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है। जिसका बाद में प्रबन्ध समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। उस प्रबन्ध समिति के समस्त निर्णयों से ट्रस्टी मण्डल को अवगत करवाकर उनकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वह उसे

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

05 AUG 2014

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 619802

क्रियान्वित कर सकता है। ट्रस्टी मण्डल के निर्णयानुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

15. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व

मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) :

प्रबन्ध समिति की बैठकों को आहूत करने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देना, बैठकों की अध्यक्षता करना, समिति के निर्णयों की घोषणा करना। अनिर्णय की स्थिति में बैठक की कार्यवाही ट्रस्टी मण्डल को संदर्भित करना तथा उसके निर्णय प्राप्त होने पर समस्त सदस्यों को निर्णय से अवगत कराने के लिए प्रबन्धक को निर्देशित करना। उसके बाद ही प्रबन्धक उसे क्रियान्वित कर सकता है।

उपाध्यक्ष:

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करना।

प्रबन्धक:

प्रबन्धक अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करेगा तथा बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को प्राप्त करायेगा। वह संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह बैंक से लेन-देन, पत्र व्यवहार, न्यायालयी कार्य, नियुक्तियां, वेतन वितरण, क्रय-विक्रय, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ आदि करेगा। वह बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करेगा तथा उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करेगा। संस्था अथवा प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में वह ट्रस्टी मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा तथा ट्रस्टी मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को क्रियान्वित करेगा।

उपप्रबन्धक:

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष:

निधियों का संचालन करना, वित्तीय नीति निर्धारण एवं वित्तीय विषयों पर संस्तुति प्रदान करना, बैंक खातों का लेखा-जोखा रखना।

Scanned with CamScanner

[illegible]

क्र. 402 .... [illegible] की तिथि 22-2-2016

[illegible] का पंजीकरण ....

[illegible] का नाम ....

पता ....

[illegible] की जानकारी ....

[illegible]

[illegible]

[illegible] की अवधि 1-4- से 31-3- तक हस्ताक्षर [illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

05 AUG 2014

इलाहाबाद VEN

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 819803

16. ट्रस्ट डीड में संशोधन

ट्रस्टी मण्डल के 2/3 की अनुमति से ट्रस्ट–डीड में संशोधन कर सकता है। उसमें कुछ जोड़ सकता है तथा उससे कुछ अंश जो विधि सम्मत न हो, को हटा सकता है। उपरोक्त के लिए बैठक की सूचना ट्रस्टियों को कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराना आवश्यक होगा। ट्रस्टी मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी को उपरोक्त संशोधनों एवं परिवर्तनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करेगा।

अतएव मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क एवं होश–हवास से यह ट्रस्ट विलेख (TRUST DEED) लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक–

मैनेजिंग ट्रस्टी [illegible]

गवाह– 1 [illegible]

गवाह– 2 Dhirendra Singh 9/241 Awas Vikas Colony, Phase Jhunsi, Allahabad

मसविदाकर्ता Rajendra Kumar Srivastava Advocate Civil Court Allahabad

टाईपकर्ता [illegible]

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible] 23-2-2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 143 [illegible]

[illegible]

[illegible] 1-4 [illegible] 31-3 [illegible]

[illegible] 06/02/2015 [illegible]

[illegible] 4 [illegible] 409

[illegible] 61 [illegible] 80 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]